भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *380

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में पोषण कार्यक्रम

†*380. श्री राहुल कस्वां:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषत: चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जहां बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्पता की समस्या के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़ों में बताया गया है सहित राजस्थान में रक्ताल्पता और कुपोषण के मामलों में होने वाली अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
(ख) चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान में शारीरिक वृद्धिरोध (स्टंटिंग) और शारीरिक कृशता (वेस्टिंग) के मामलों में कमी लाने में होने वाली प्रगति को बनाए रखने और उसे गति देने के लिए क्या व्यवस्था विद्यमान है;
(ग) राजस्थान में सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित पोषण संबंधी विशिष्ट कार्यों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (घ): विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *380 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): भारत सरकार राजस्थान राज्य और चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए कई स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती है। ये कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. **एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी):** भारत सरकार छह लाभार्थी समूहों - 6-59 महीने के बच्चे, 5-9 वर्ष के बच्चे, किशोर (10-19 वर्ष), प्रजनन आयु की महिलाएं (15-49 वर्ष), गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया की व्यापकता को कम करने के लिए 6X6X6 कार्यनीति में छह कार्यकलापों के माध्यम से रोगनिरोधी आयरन और फोलिक एसिड संपूरक (प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं को साप्ताहिक आधार पर आईएफए रेड प्रदान किया जाता है और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 180 दिनों के लिए प्रतिदिन आईएफए रेड गोलियां प्रदान की जाती हैं); कृमि मुक्ति; वर्ष भर चलने वाले गहन व्यवहार परिवर्तन अभियान; डिजिटल इन्वेसवि हीमोग्लोबिनोमीटर और देखभाल उपचार बिंदु का उपयोग करके एनीमिया की जांच; सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन और फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों के अनिवार्य प्रावधान; और सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देते हुए स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान करके एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम को कार्यान्वित करती है।

2. जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर **पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी)** स्थापित किए जाते हैं, ताकि गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से पीड़ित 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को चिकित्सा और पोषण संबंधी परिचर्या प्रदान की जा सके। इसके अलावा, बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने के लिए माताओं को परामर्श सहायता प्रदान की जाती है।

3. स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए **माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएए)** कार्यान्वित किया गया है, जिसमें शीघ्र स्तनपान की शुरुआत और प्रसव पश्चात पहले छह महीनों के लिए केवल स्तनपान शामिल है, इसके बाद अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण और व्यापक आईईसी अभियानों के माध्यम से आयु-उपयुक्त पूरक आहार परिपाटियों को शामिल किया गया है।

4. नवजात शिशु गहन परिचर्या इकाइयों और विशेष नवजात शिशु परिचर्या इकाइयों में भर्ती बीमार, समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए मां के अपने दूध या सुरक्षित, पाश्चुरीकृत दाता मानव दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **स्तनपान प्रबंधन केंद्र** स्थापित किए गए हैं।

5. **राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी)** के अंतर्गत, सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) में मृदा संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से एक निर्धारित दिवस में एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाती हैं।

6. **गृह आधारित नवजात परिचर्या (एचबीएनसी) और गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एचबीवाईसी)** कार्यक्रम के अंतर्गत, आशाकर्मी द्वारा शिशु पालन परिपाटियों में सुधार लाने और बीमार नवजात और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए घर पर दौरे किए जाते हैं।

7. ओआरएस और जिंक के उपयोग को बढ़ावा देने तथा बाल दस्त के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए **स्टॉप डायरिया पहल** कार्यान्वित की गई है।

8. **मासिक ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी)** आईसीडीएस के साथ संचालित पोषण सहित मातृ एवं शिशु परिचर्या के प्रावधान के लिए एक आउटरीच गतिविधि है।

9. गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के खतरे के संकेत, लाभ योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करने के लिए **एमसीपी कार्ड** वितरित किए जाते हैं।

10. **मिशन पोषण 2.0** एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) / मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से स्वास्थ्य पर अभिकेंद्रित है ताकि कुपोषण, बौनापन, एनीमिया और कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके। इसमें संपूरक पोषण कार्यक्रम, जन आंदोलन के माध्यम से सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता का प्रसार, आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति और पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के माध्यम से निगरानी शामिल है।

(घ): राजस्थान राज्य द्वारा उपलब्ध कराया गया विगत पांच वर्षों के दौरान वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पोषण कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत निधियों और व्यय (रुपये में) का ब्यौरा, है:

वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के लिए चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आईसीडीएस के अंतर्गत पोषण कार्यक्रमों हेतु स्वीकृतियां और व्यय				
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन		**एकीकृत बाल विकास सेवाएं**	
वर्ष	**अनुमोदन (रुपए)**	**व्यय (रुपए)**	**अनुमोदन (रुपए)**	**व्यय (रुपए)**
2019-20	2448000	1019357	24452543	20393589
2020-21	3245000	972691	13917340	13000930
2021-22	2250000	1444911	34273932	29754512
2022-23	1994000	1719660	6838806	3504674
2023-24	1996000	811406	30326550	28042346

*****